भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2219
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव में देरी

†2219. **श्री मनीश तिवारी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनावों की प्रक्रिया, जैसा कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत अनिवार्य है, 31 अक्तूबर, 2024 को इसका कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद शुरू नहीं की गई है और पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम/कैलेंडर में यह प्रावधान है कि चुनाव प्रक्रिया सीनेट के कार्यकाल की समाप्ति से 240 दिन पहले अर्थात जनवरी/फरवरी 2024 में ही शुरू की जानी चाहिए थी;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चुनावों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(ग) क्या सरकार की पंजाब विश्वविद्यालय के शासन को नियंत्रित करने के लिए इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और
(घ) सीनेट चुनावों में देरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत की गई है और इसके शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मामले इसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट का चुनाव कुलाधिपति से उचित अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय को पंजाब विश्वविद्यालय की स्वायत्तता द्वारा मार्ग निर्देशित किया जाता है। वर्तमान में, सरकार की पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

****